न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 107/2019 दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

1 प्रभूलाल आत्मज बालूसिंह, जाति आंजना, निवासी रूपारेल
2 सुनील कुमार आत्मज प्रभूलाल, जाति आंजना, निवासी रूपारेल तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1 सीताबाई पुत्री भंवरलाल पत्नी विक्रमसिंह, जाति आंजना, निवासी रूपारेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से

रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 01.05.2018 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा प्रार्थना पत्र संख्या 2/2018 वास्ते अन्तर्गत धारा 212 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सी. पी. सी. ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

निर्णय दिनांक : 31.01.2023

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि—

2 यह कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में वादिया ने प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थिया का वाद प्राइमाफेसी वाद है, जिसमें प्रार्थिया को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

3 यह कि ग्राम रूपारेल, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 3 बिस्वा स्थित है। नकल जमाबंदी खाता संख्या 2069—2072 पेश है।

4 यह कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है, इससे अप्रार्थीगण 1 व 2 का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण 1 व 2 जोर जबरदस्ती एवं ताकत के बल पर उक्त आराजी पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। पहले भी माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा होकर अप्रार्थी को पाबन्द किया गया था।

5 यह कि दिनांक 02.01.2018 को अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर निर्माण करना शुरू किया। प्रार्थिया ने मना किया तो नहीं माने और लड़ाई झगड़ा किया। ग्राम पंचायत ने भी अप्रार्थी को पाबन्द किया, प्रार्थिया ने उपखण्ड अधिकारी पिडावा को प्रार्थना पत्र दिया, इस पर तहसीलदार को कानूनी कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। यदि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कर लिया गया और कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थिया अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जावेगी और ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में नहीं हो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

सकेगी। इस कारण अप्रार्थीगण 1 व 2 को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

6 यह कि अप्रार्थीगण अपनी रिश्तेदार संतोष पुत्री बजेसिंह आंजना जिसको प्रशासन ने संरक्षण दिया हुआ है, का बेजा इस्तेमाल कर प्रार्थिया की आराजी पर कब्जा करने और निर्माण करने पर उतारू है। जिसको रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थिया का प्राइमाफेसी केस है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है।

7 अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 व 2 को जरिये अस्थायी व्यादेश पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम रूपारेल, तहसील पिडावा की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 3 बिस्वा पर जबरन निर्माण कार्य नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें, यह कार्य किसी अन्य से अपने हालि, नौकर, ऐजेन्ट, मजदूर से नहीं करावें।

8 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

9 पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 में बानोर में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित है। उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली के अवलोकन में पाया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 03 बिस्वा ग्राम रूपारेल की भूमि की प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है जिसके अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा है। जबकि वादग्रस्त आराजी से उनका सम्बन्ध नहीं है।

10 अतः पत्रावली में ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम रूपारेल की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.03 बिस्वा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

11 पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलंग्न हो।

12 निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प बानोर में दिनांक 01.05.2018 को सुनाया गया ।

13 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

14 यह कि प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 01.05.2018 को राजस्व केम्प बानौर में वादिया एवं अप्रार्थीगण को सूचना दिये बिना प्रार्थना पत्र का जवाब आये बिना, प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना राजी मर्जी के हस्ताक्षर किये, जो स्थगन आदेश का निर्णय राजस्व केम्प बानौर में दिया गया है। जिससे असन्तुष्ट होकर अपील निम्न कारणों से पेश है।

15 यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन प्रार्थना पत्र का फैसला कानून के विरूद्ध एवं पत्र संग्रहसार के विरूद्ध होने से जैर अपील खारिज होने योग्य है।

16 यह कि रेस्पोडेंट सीताबाई पुत्री भंवरलाल पत्नि विक्रमसिंह, जाति आंजना, निवासी रूपारेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज.) द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के समक्ष एक वाद दिनांक 08.01.2018 को धारा 183, 188, 209 राज0 टीनेन्सी एक्ट का पेश किया था, जिसमें धारा 212 का एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 का भी पेश किया। वाद एवं प्रार्थना पत्र दर्ज होकर अप्रार्थीगण प्रभूलाल व सुनील की तलबी हेतु दिनांक 20.02.2018 नियत हुई थी।

17 यह कि वाद अप्रार्थीगण की तलवी हेतु चल रहा था, जिसमें 20.02.2018 को अप्रार्थीगण प्रभूलाल व सुनील की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। इस प्रकार वाद/प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब हेतु दिनांक

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

10.04.2018 को नियत हुयी तथा दिनांक 10.04.2018 को एक मौका लेते हुए वास्ते जवाब/प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 09.05.2018 को नियत की गयी।

18 यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि का वादिया द्वारा पूर्व में भी इसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जिसका राजस्व वाद प्रकरण संख्या 42/2014/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 24.06.3024 को प्रार्थिया वादिया का प्रार्थना पत्र में जवाब प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड, मौका रिपोर्ट का अवलोकन कर अभिभाषकगण बहस सुनने के पश्चात् निर्णय में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया है। इस प्रकार प्रार्थिया दूसरा प्रकरण नहीं ला सकती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज होने योग्य है।

19 यह कि राजस्व केम्प खत्म होने पर अदालती कार्यवाही पुनः शुरू होने पर उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र में नहीं निकलने पर अधिवक्ता द्वारा तलाश करने पर ज्ञान हुआ कि उक्त प्रकरण का निस्तारण राजस्व केम्प बानौर में कर दिया गया है। तब अप्रार्थीगण को सूचना दी गई। सूचना पर अप्रार्थीगण पिडावा न्यायालय में आये तब अधिवक्ता द्वारा नकल की दर0 लगायी एवं अप्रार्थीगण द्वारा पैसो का इन्तजाम कर वकील कर बिना देरी के अपील पेश कर रहे हैं। जो अपीलांट की जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

20 अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.05.2018 को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

21 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी राजस्व केम्प खत्म होने पर अदालती कार्यवाही पुनः शुरू

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

होने पर उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र में नहीं निकलने पर अधिवक्ता द्वारा तलाश करने पर ज्ञान हुआ कि उक्त प्रकरण का निस्तारण राजस्व केम्प बानौर में कर दिया गया है। तब अप्रार्थीगण को सूचना दी गई। सूचना पर अप्रार्थीगण पिडावा न्यायालय में आये तब अधिवक्ता द्वारा नकल की दर0 लगायी एवं अप्रार्थीगण द्वारा पैसो का इन्तजाम कर वकील कर बिना देरी के अपील पेश कर रहे हैं। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

22 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

23 हमने विद्वान योग्य अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

24 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

25 अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 03 बिस्वा ग्राम रूपारेल की भूमि की प्रार्थिया रेकार्डेड खातेदार है जिसके अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा है। जबकि वादग्रस्त आराजी से उनका सम्बन्ध नहीं है।

26 अधीनस्थ न्यायालय ने ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि वह ग्राम रूपारेल की आराजी खसरा नम्बर 89 रकबा 0.03 बिस्वा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

27 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

28 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

29 निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/1/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा